भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 305

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता

305. श्री कुरुवा गोरांतला माधवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार समर्थित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कोई अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में एकसमान न्यूनतम दिहाड़ी तय करने का विचार है; और

(ग) न्यूनतम मजदूरी तय करने के मानदंड और इसके संशोधन की समय सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार को दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है।

(ii) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान किया जाता है।

....जारी पृष्ठ 2/-

उपर्युक्त के अलावा, दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी पात्रता से संबंधित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के उपबंध में न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का प्रावधान है। तदनुसार, केंद्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के प्रभावों से बचाने के लिए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर निर्वाह लागत भत्ते जिसे परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) कहा जाता है, में प्रत्येक छह महीने में संशोधन करती है जो 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी होती है। हाल ही में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सम्मिलित किया गया है और इसमें अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का भी प्रावधान है। इसके अलावा, संहिता में न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत यथाउपबंधित अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की सीमित प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाया गया है।

संहिता के तहत उपबंध अभी लागू नहीं हुए हैं।

*****